सप्तदश

बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 24 अग्रहायण, 1944 (श०) / 15 दिसम्बर, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 11

(1)	नगर विकास एवं आवास विभाग	.. ..	02
(2)	कृषि विभाग	.. ..	04
(3)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	.. ..	01
(4)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	.. ..	02
(5)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	.. ..	02
		कुल योग --	11

कार्रवाई करना

7. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "दस साल में आठ गुना बढ़े कुत्ता काटने के मामले" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के तहत राज्य में संचालित इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आई0डी0एस0पी0) के अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 में राज्य में कुत्तों के काटने की 38,912 मामले सामने आये थे, जबकि वर्ष 2019 में बढ़कर 3 लाख 43 हजार 259 हो गये हैं, जो वर्ष 2009 की तुलना में आठ गुणा अधिक है, यदि हाँ, तो सरकार कुत्तों के काटने के मामले पर रोक लगाने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भू-जल में यूरेनियम की मात्रा कम करना

8. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के दरभंगा, सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नालन्दा, शेखपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज और बेगूसराय जिलों में भू-जल में मानक से अधिक यूरेनियम मिलने के कारण पेयजल के द्वारा लोगों में गंभीर बीमारियों यथा थायराईड, किडनी, कैंसर, बोनमैरो, डिप्रेशन एवं अन्य का खतरा बढ़ गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भू-जल में यूरेनियम की मात्रा कम करने हेतु उपाय करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । माननीय सदस्य विधान सभा के द्वारा जिन जिलों का नाम दिया गया है उसमें मधेपुरा, सारण, भभुआ, खगड़िया, शेखपुरा, किशनगंज, नालन्दा, पूर्णियाँ में CGWB (Central Ground Water Board) के द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तिका में अत्यधिक यूरेनियम का जिक्र किया गया है । दरभंगा, नालन्दा जिलों में अत्यधिक यूरेनियम का जिक्र नहीं किया गया है । CGWB द्वारा 2020 में प्रकाशित प्रतिवेदन में बिहार के 9 जिलों यथा सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज एवं बेगूसराय के 634 नमूनों की जाँच किये जाने का उल्लेख है, जिसमें मात्र 11 नमूनों में 30 PPB (Parts Per Billion-.001 mg/l) से अधिक यूरेनियम पाये जाने का उल्लेख है । अधिकतम यूरेनियम 57 PPB पाये जाने का उल्लेख किया गया है । WHO (World Health Organization) के अनुसार 30 PPB तथा AERB (Atomic Energy Regulatory Board of India) अनुसार 60 PPB अनुमान्य सीमा है । इनमें से कहीं भी 60 PPB से ज्यादा नहीं पाया गया है ।

उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

MVR पुनर्निर्धारण

9. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पिछले लगभग दस वर्षों से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का MVR (Minimum Value of Registration) का पुनर्निर्धारण नहीं हुआ है, जिसके कारण ही भिन्न-भिन्न परियोजनाओं में अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जैसे चौसा (बक्सर) थर्मल पावर परियोजना, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का MVR का पुनर्निर्धारण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नालन्दा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का गठन

10. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहारशरीफ डेयरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन वर्ष 2014 में किया गया था तथा उद्घाटन के तुरन्त बाद ही कॉम्फेड द्वारा नालन्दा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का गठन किया जाना था, जो अबतक नहीं हो पाया है, जिससे पटना डेयरी प्रोजेक्ट पर कार्य बोझ अधिक है, यदि हाँ, तो सरकार दुग्ध उत्पादकों के हित में नालन्दा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के गठन का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहारशरीफ डेयरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन वर्ष 2014 में किया गया था ।

इससे पूर्व ही कॉम्फेड के निदेशक पर्षद की दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को सम्पन्न बैठक में राज्य में विभिन्न दुग्ध संघों के गठन का निर्णय लिया गया था, जिसमें नालन्दा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के गठन का भी निर्णय लिया गया था । इस नये संघ का कार्यक्षेत्र नालन्दा, शेखपुरा एवं नवादा जिला रखने का निर्णय लिया गया था ।

नालन्दा एवं शेखपुरा जिला वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ लि0 के निर्बाधित कार्यक्षेत्र में हैं तथा इन जिलों को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ लि0 से अलग करने हेतु वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ को अपनी आम सभा में प्रस्ताव लेने का निदेश कॉम्फेड के पत्रांक 6412, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रेषित किया गया था । संघ की आम सभा ने नालन्दा जिला को संघ के कार्यक्षेत्र से अलग करने पर असहमति दी गई । निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4155, दिनांक 13 जुलाई, 2015 से प्राप्त परामर्श के आलोक में संकल्प के माध्यम से अधिसूचित करने हेतु वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ लि0 को कॉम्फेड के पत्रांक 4173, दिनांक 21 जुलाई, 2015 द्वारा निदेशित किया गया है ।

फलतः नालन्दा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के गठन का प्रस्ताव वर्तमान में स्थगित है ।

उर्वरक उपलब्ध करवाना

11. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 नवम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "किसानों को 2.5 लाख टन यूरिया की जरूरत, केन्द्र ने दिया 89 हजार टन" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों के लिये 2.5 लाख टन यूरिया की आवश्यकता के विरुद्ध 89,885.42 टन यूरिया की ही आपूर्ति की गयी है, जिससे राज्य के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उर्वरक की कम उपलब्धता के कारण राज्य में कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के किसानों को समुचित उर्वरक की उपलब्धता के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मिट्टी में सुधार कराना

12. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "चिंताजनक बिहार की मिट्टी गंवा रही अपनी उर्वरा शक्ति" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बेहतरतीब और जरूरत से अधिक उपयोग की वजह से बिहार की मिट्टी की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है जिससे खेती की जमीन बंजर या कम पैदावार देने वाली हो जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार की मिट्टी में नाईट्रोजन की कमी ज्यादा होने के कारण करीब 90 प्रतिशत क्षेत्रों में इसका असर सभी तरह के फसलों की गुणवत्ता पर भी पड़ा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में खाद्यान्न, सब्जी एवं फलों में कम हो रहे पोषक तत्व को सुधारने की दिशा में मिट्टी की सेहत में सुधार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

13. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में नगर निगम/नगरपालिका की छः मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया था, परंतु पथ निर्माण विभाग ने इसे पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित कर दिया है, इस विभागीय प्रक्रियात्मक कार्रवाई के चलते राज्य के नगर निगम/नगरपालिका की छः मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें जीर्ण-शीर्ण हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार नगर निगम एवं नगरपालिका की छः मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों का कबतक निर्माण/जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑनलाइन आवेदन लेना

14. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रबी फसल अन्तर्गत वर्ष 2022 में राज्य के किसानों को गेहूँ बीज वितरण के लिये सिर्फ दो जिला नालन्दा एवं औरंगाबाद से ही ऑनलाइन आवेदन लिये जा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार रबी फसल अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में गेहूँ वितरण करने के लिये किसानों से ऑनलाइन आवेदन लेने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि अधिग्रहण करवाना

15. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 सितम्बर, 2022 में प्रकाशित शीर्षक "जमीन अधिग्रहण की रफ्तार धीमी होने से फंसी 45 परियोजनायें" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना-गया-डोभी, एन0एच0 83, आमस-रामनगर, एन0एच0 119डी0, पटना-आरा-सासाराम, एन0एच0 119ए, गंगा जल उद्वह योजना सहित कुल 45 परियोजनाएँ जो 5 वर्षों से भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण लम्बित पड़ी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भूमि अधिग्रहण कर लम्बित उक्त योजनाओं को पूरा करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

16. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान बेचने वाले किसानों को सरकार ने 48 घंटों के अंदर पैसा भुगतान करने का निर्देश दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 20 नवम्बर तक 5 हजार किसानों से लगभग 40 हजार टन धान खरीद हुई है मगर मात्र 1244 किसानों के खाते में ही राशि का भुगतान किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के शेष बचे किसानों को ससमय बकाया राशि दिलवाने का कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

17. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा होने के कारण गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालन्दा, कैमूर सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में भू-जल स्तर सामान्य से काफी नीचे चले जाने से पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों में अभीतक पेयजल उपलब्ध कराने की कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण जनता को पेयजल की भारी किल्लत उठानी पड़ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार औरंगाबाद जिला सहित दक्षिण बिहार के सभी जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 50(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550